

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

झारखण्ड राज्य के दन्त चिकित्सक सीधी नियुक्ति (लिखित) परीक्षा, विज्ञापन संख्या-01/2022 के संबंध में अभिलेख सत्यापन हेतु आवश्यक अनुदेश।

1. अभ्यर्थी बुलावा पत्र में अंकित निर्धारित तिथि-24.09.2025 को अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्वाहन-10:00 बजे

तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

2. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

- (i) आयु संबंधी मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र,
- (ii) इंटरमीडिएट अंक पत्र/प्रमाण पत्र,
- (iii) बी०डी०एस० डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
- (iv) भारतीय दन्त चिकित्सा पर्षद अथवा राज्य दन्त चिकित्सा पर्षद का निबंधन प्रमाण-पत्र,
- (v) जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो),
- (vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो),
- (vii) विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र (जहां लागू हो),
- (viii) महिला/निःशक्तजन कोटि में क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (ix) पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस)।

नोट:- अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-I, पिछड़ा वर्ग-II, EWS, निःशक्तता कोटि में आरक्षण का लाभ हेतु विज्ञापन की कंडिका-9 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यक्रम जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है उसके आलोक में अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।
4. अभिलेख सत्यापन/घोषणा कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।